FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

हरिन्द्र कुमार बनाम भूमिधारी

मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी (एलआर एक्ट अर्न्त. धारा 128) मु0नं0 683 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1418

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री मनीराम जाखड़ उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 05.12.2025 को पेश हो।	
राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 18/12/25 को पेश हो।	
18/12/25	
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 19.06.2025 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने की कृपा करें। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 19.06.2025 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 19.06.2025 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। उक्त सीमाज्ञान में प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से पर दीगर व्यक्ति का कब्जा होना बताया हैं। अतः प्रार्थी को दीगर व्यक्ति से कब्जेशुदा भूमि को मुक्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में बेदखली का वादपत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त करने की हिदायत देते हुए प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील	

दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज०)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)